(92)

Spl. Sec.

O. S. D. (K)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14445/1942 **दिनांकः–** 27/10/14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

OSD(K) 25.11.14

महाशय,

नगर पंचायत, कटैया के वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक की लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 432/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित करकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

27/10/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

Green 8597 20.11.14

209 25/11/14

नगर पंचायत, कटैया
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0- 432/13-14
(अवधि- 2009-10 से 12-13 तक)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, कटैया के वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लेखाओं की नमूना जाँच महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 20.05.13 से 24.05.13 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

लेखा परीक्षा अवधि में नगर पंचायत का प्रशासन निम्नलिखित थाः-

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	मुख्य पार्षद	
	श्रीमती मेनका राय	01.04.2009 से 2012 तक
		2013 से अंकेक्षण अवधि तक
2	उप मुख्य पार्षद	
	श्री अवधेश प्रसाद	01.04.2009 से 2012 तक
	श्री अवधेश प्रसाद	2013 से अंकेक्षण अवधि तक
3	कार्यपालक पदाधिकारी	
	श्री अरविन्द कुमार भारती	01.04.09 से 05.06.09
	श्री सुर्शीद आलम	06.06.09 से 04.04.10
	श्री शिवचन्द्र प्रसाद	25.04.10 से 03.07.11
	श्री कौशल किशोर पासवान	13.09.11 से अंकेक्षण अवधि तक

3. लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट- I में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट- II में दर्शाया गया है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनेक बार स्मारित करने के बावजूद लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नही की जा सकी। अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है।

कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से इस दिशा में आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय।

5. आंतरिक अंकेक्षण

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 96 तथा 97 में नगरपालिका लेखाओं के संधारण तथा समन्वय पर श0स्था0नि0 में विशिष्ट लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रावधान किया गया है। साथ हीं बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 20 एवं 64 के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय- समय पर लेखाओं, अभिलेखों तथा वसूली की जाँच किया जाना उपबंधित है ताकि लेखाओं के संधारण एवं वसूली लेखा में किसी भी गंभीर वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं को दूर किया जा सके। नगरपालिका लेखाओं के संधारण में उचित नियंत्रण, सहभागिता तथा अनियमितताओं से बचाव के लिए इन जाँचो को विहित किया गया है।

नगर पंचायत के लेखाओं की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस तरह के जाँच की कोई व्यवस्था नगर पंचायत में नहीं की गई थी जिसके कारण नगर पंचायत में वित्तीय एवं अन्य अनियमितताएँ पाई गई, जिसकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है।

नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप समय- समय पर नियमित रूप से इसकी जाँच की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में अनियमितता की संभावना न हो।

जबाव में बताया गया कि व्यवस्था के अभाव में अब तक आंतरिक अंकेक्षणका कार्य नहीं किया गया है। आगे से इस बिन्दु पर ध्यान रखा जाएगा।

6. लेखापरीक्षा की प्रमुख उपलब्धियाँ

क्र0सं0	कंडिका का सार	कंडिका सं0	राशि
1	असमायोजित अग्रिम	15	1402000
2	कम/नहीं जमा (एच0 रसीद)	17	1598.02
3	टैक्सी /बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती की राशि जमा नहीं	19	75810
4	कटैया बाजार की बंदोवस्ती की राशि नाजिर द्वारा नगर पंचायत निधि में जमा नहीं	20	347964
5	निधि का अवरोधन	12	1285904
6	होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि	22	446185
7	श्रम उपकर की कटौती नहीं	24	27670
8	विलंब दंड की राशि की वसूली नही	26	129233
9	वैट एवं रॉयल्टी की राशि जमा नहीं	28	164128

7. रोकड़ बही की त्रुटियाँ

क. रोकड़ बही में आय– व्यय का वर्गीकरण नहीं पाया गया।

ख आय– व्यय का पूर्ण विवरण नहीं पाया गया।

ग माह के अंत में रोकड़ बही के शेष को कोषागार/बैंक पासबुक के शेष से मिलान नहीं किया गया।

घ वर्षवार आय और व्यय का सार तैयार नहीं किया गया।

ड. रोकड़बही में अनेक जगहों पर कटिंग एवं ओवरराइटिंग पाया गया।

8. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के आय स्रोतों पर निर्भर है, पंचायत द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं तैयार किया गया था, जिसके कारण निधि की सही वित्तीय स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी।

नगर पंचायत द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़ बहियों का वर्ष 2010–11 से 2012–13 का संव्यवहार निम्न है–

(क) कबीर अंत्येष्टि योजना

		2009–10	2010–2011	2011–2012	2012–2013
1	प्रारंभिक शेष	--	117000	--	--
2	प्राप्तियाँ				
	(i) अनुदान	234000	136500	721045	141000
	(ii) ब्याज	--			
3	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	234000	136500	721045	141000
4	कुल प्राप्ति (1+3)	234000	253500		141000
5	व्यय				
	(i) योजना मद	117000	253500	721045	141000
6	कुल व्यय	117000	253500	721045	141000
7	अन्तशेष	117000	--		--

3,19,729
1,38,410

188

(ख) सामान्य रोकड़बही

		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	प्रारंभिक शेष	3908516	4080462	3656394	4992350
2	प्राप्तियाँ				
	(i) अनुदान	234000	789383	2394102	4632015
	(ii) ब्याज	--			747855
	(iii) स्वयं के स्त्रोत	67246	60013	79502	93673
	(iv) अन्य	--	16730		
3	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	301246	866126	2473604	5473543
4	कुल प्राप्ति (1+3)	4209762	4946588	6129998	10465893
5	व्यय				
	(i) योजना मद	117000	1185678	983948	300000
	(ii) स्थापना/प्रशासन	12300	104516	153700	13565
	(ii) अन्य				250
6	कुल व्यय	129300	1290194	1137648	313815
7	अन्तशेष	4080462	3656394	4992350	10152078

सामान्य रोकड़बही दिनांक 09.01.2013 तक ही संधारित पाया गया। छह माह बीतने के बावजूद सामान्य रोकड़बही का संधारण नहीं किया गया। साथ ही रोकड़बही से संबंधित बैंक पासबुक भी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाया गया।

ग. बी.आर.जी.एफ.

		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	प्रारंभिक शेष	1214262	3236917	3241306	3600158
2	प्राप्तियाँ				
	(i) अनुदान	1957784	953919	994992	1162068
	(ii) ब्याज	64871		202264	68930
	(iv) अन्य				265
3	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	2022655	953919	1197256	1231263
4	कुल प्राप्ति (1+3)	3236917	4190836	4438562	4831421
5	व्यय				
	(i) योजना मद		949530	837528	
	(ii) अन्य			876	839
6	कुल व्यय	--	949530	838404	839
7	अन्तशेष	3236917	3241306	3600158	4830582

घ. 12वीं एवं 13वें वित्त आयोग मद

		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	प्रारंभिक शेष	942293	942293	621092	444045
2	प्राप्तियाँ				
	(i) अनुदान		338483	---	--
3	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	--	338483	--	--
4	कुल प्राप्ति (1+3)	942293	1280776	621092	444045
5	व्यय				
	(i) योजना मद		659684	177047	
6	कुल व्यय		659684	177047	--
7	अन्तशेष	942293	621092	444045	444045

रोकड़बही के अनुसार इस मद में कुल ₹444045 की राशि अव्यवहृत पड़ी है जिसे यथाशीघ्र व्यय किया जाय। 12वीं एवं 13वीं वित्त आयोग की एक ही रोकड़ बही संधारित थी।

23.12.12 तक 13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत कुल ₹1401957 अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ जो रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 06.04.11 को ₹70000 तथा 02.06.11 को ₹701957 दर्ज पाया गया। 23.12.12 तक इस मद में कोई राशि व्यय नहीं की गयी लेखापरीक्षा आपत्ति के जबाव में बताया गया कि कार्यालय कर्मी के अभाव के कारण समय से खर्च नहीं किया जा सका।

राशि खर्च नही करने से सरकारी राशि अव्यवहृत पड़ी रही और नगर पंचायत की शिथिलता के कारण उसका लाभ लाभुकों को नहीं मिल पाया।

9. बैक पासबुक में दर्ज प्राप्ति एवं निकासी कैशबुक में दर्ज नहीं

सामान्य रोकड़ बही, बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के मिलान के कम में पाया गया कि कैशियर द्वारा बैक पास बुक में प्राप्त राशि ₹12241721 कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया तथा बैंक पास बुक में दर्ज निकासी की राशि ₹1514782/- भी कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया। कैशबुक में प्राप्ति एवं निकासी का दर्ज नहीं करने से गंभीर वित्तीय अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसे दर्ज कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। साथ ही होल्डिंग टैक्स नगद राशि हस्तांतरण रजिस्टर के अनुसार होल्डिंग मद की वसूली गयी राशि ₹149230 भी रोकड़बही में दर्ज नहीं पायी गयी जिसके कारण इस राशि की जॉच नहीं की जा सकी। इस राशि की प्रविष्टि रोकड़बही में कर अगले अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाय। विवरण परिशिष्ट IIA एवं IIB पर।

186

10. रोकड़ बही का संधारण नहीं

बार- बार अनुरोध करने के बाद भी नगर पंचायत, कटैया द्वारा दिसम्बर, 2012 के बाद से रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया। साथ ही नगर पंचायत द्वारा बैंक पास बुक भी लेखापरीक्षा के समक्ष रोकड़पाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे लेखापरीक्षा के प्रति नगर पंचायत की उदासीनता परिलक्षित होती है। रोकड़बही का संधारण नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की संभावना व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा आपत्ति के जबाव में बताया गया कि रोकड़ बही अविलम्ब संधारण हेतु आदेश दिया जा चुका है।

11. अनुदान

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोजन पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसलिए लेखापरीक्षा में पूर्व का अनुदान, उसका विनियोजन एवं शेष की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। विभिन्न रोकड़ बहियों के अनुसार नगर पंचायत को वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान विभिन्न मदों में कुल ₹11006200/- का अनुदान प्राप्त हुआ। (विवरणी परिशिष्ट- III पर संलग्न)

अतः सुझाव दिया जाता है कि अनुदान पंजी का विहित संधारण कर जिसमें कि उपर्युक्त सभी आँकड़े उपलब्ध हो, अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

12. निधि का अवरोधन ₹1285904

नगर पंचायत, कटैया को ट्रैक्टर क्रय तथा चापाकल मद में 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान कुल ₹1285904 प्राप्त हुआ था परन्तु यह राशि बिना किसी कार्य के पड़ी हुई है। ज्ञातव्य है कि पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0- 163/2009-10 के कंडिका सं0- 19(vi) तथा 19(x) में इस बात का जिक्र किया गया था। सरकार से प्राप्त हुए राशि का 5 वर्ष बीतने के बावजूद उपयोग नहीं होना नगर पंचायत द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने का सूचक है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	प्राप्ति की तिथि	राशि	मद
1	26.08.07	425000	ट्रैक्टर क्रय
2	31.03.08	825760	चापाकल मद
3	14.05.08	35144	चपाकल मद
	कुल	1285904	

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि कार्यालय कर्मी के अभाव के कारण राशि को ससमय खर्च नहीं किया जा सका।

13. बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 84 के अनुसार प्रत्येक अगले वर्ष का बजट 15 मार्च तक नगर परिषद बोर्ड द्वारा पारित कर स्थानीय निकायों के निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को भेजना है तथा निदेशक द्वारा बजट का अनुमोदन कर 31 मार्च तक नगर पंचायत को लौटा देना है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा बजट नहीं बनाया गया।

नगर पंचायत द्वारा जबाब में बताया गया कि बजट नहीं बनाये जाने का कारण एक भी कर्मचारी की बहाली नहीं होना है।

14. वार्षिक लेखा

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 82 से 94 के अनुसार प्रत्येक वर्ष आय एवं व्यय के वार्षिक लेखा का संधारण करना है। लेकिन नगर पंचायत द्वारा वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया था, जिससे वर्ष में हुए आय- व्यय की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका।

अतः वर्ष 2009-10 से 12-13 का वार्षिक लेखा तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि कार्यालयकर्मी के अभाव में वार्षिक लेखा का संधारण अब तक नहीं किया जा सका है। आगे से इस विन्दु पर ध्यान रखा जाएगा।

15. असमायोजित अग्रिम- ₹1402000

नगर पंचायत, कटैया द्वारा प्रस्तुत 12-13 के अग्रिम पंजी के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों को इस अवधि में कुल ₹1402000 अग्रिम के रूप में दिया गया था। अग्रिम के समायोजन के संबंध में पंजी में कोई प्रविष्टि नहीं पाई गयी।

क्र.सं.	अग्रिम प्राप्तकर्ता का नाम	राशि	तिथि	अग्रिम का उददेश्य
1	गौतम प्रसाद महतो	400000	16.10.12	पेंशन वितरण
2	गौतम प्रसाद महतो	500000	16.10.12	पेंशन वितरण
3	गौतम प्रसाद महतो	200000	16.10.12	पेंशन वितरण
4	गौतम प्रसाद महतो	250000	11.01.13	पेंशन वितरण
5	विनय कुमार	40000	18.10.12	मानदेय
6	नबी नसूल अमीन	12000	16.11.12	छठ घाट सफाई
	कुल	1402000		

अतः ₹1402000 का समायोजन कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। कार्यपालक अधिकारी, नगर पंचायत, कटैया द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई जबाव नहीं दिया गया ।

16. नाजिर द्वारा नकद राशि रखा जाना

रोकड़ बही में दिनांक 23.12.12 को ₹9301.70 नकद (हाथ में) दिखाया गया। बिहार नगरपालिका अधिनियम 1928 के अनुसार वसूले गए राजस्व को नगरपालिका निधि में उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस को जमा कर देना है। परन्तु नियम का उल्लंघन करते हुए नाजिर द्वारा इसे अपने हाथ में रखा गया। कार्यपालक अधिकारी द्वारा नाजिर को रोकड पंजी में दर्ज करने का आदेश दिया गया परन्तु नाजिर द्वारा निर्देश का पालन अंकेक्षण अवधि तक नहीं किया गया था। सरकारी राशि को अपने हाथ में रखने से राशि की दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इस राशि ₹9301.70 को नगर पंचायत निधि में अविलम्ब जमा करवाया जाय और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

17. कम/नहीं जमा (एच0 रसीद) ₹1598

एच रसीद और दैनिक वसूली पंजी से मिलान करने के क्रम में पाया गया कि वसूलकर्ता श्री नबी रसूल मियां द्वारा वसूली गयी राशि में से ₹1598.02 नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था। अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में दिनांक 28.05.13 को श्री नबीरसूल मियां द्वारा ₹1511 बैंक में जमा करने का प्रमाण दिया गया। नहीं जमा की गयी शेष राशि ₹87 संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है। (विवरणी परिशिष्ट– IV पर संलग्न)।

18. रसीद बही का भंडार पंजी संधारित नहीं

नगर पंचायत, कटैया में एच रसीद बुक से संबंधित भंडार पंजी का संधारण नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितना रसीद छपवाया गया था तथा कितना जारी किया गया। ऐसी स्थिति में रसीद को दुरूपयोग करने की प्रबल संभावना बनती है। साथ ही दिनांक 13.03.2013 से पूर्व जारी किए गए एच रसीद में रसीद संख्या प्रिंटेड नहीं था। इस अनियमितता को दूर किया जाय।

19. टैक्सी /बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती की राशि जमा नहीं ₹75810

नगर पंचायत की परिसम्पत्ति अर्थात बस स्टैण्ड आदि की बन्दोबस्ती सालाना बोली द्वारा की जाती है। बन्दोबस्ती की रकम बोली लगाने वाले से बन्दोबस्ती के समय ही वसूली की जानी है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2010–11 से 13–14 के लिए की गयी बन्दोंबस्ती की बकाया राशि बन्दोबस्ती के दिन नहीं की गयी।

क्र.सं.	बंदोबस्ती की अवधि	सैरात का विवरण	बन्दोबस्ती की राशि शुल्कों सहित	जमा का विवरण रोकडबही के अनुसार
1	2010–11	टैक्सी /बस स्टैण्ड	48763	20750–31.3.10 को 28013–31.3.11 को
	2011–12	,,	54814	32000–31.3.11 को 22814–29.3.12 को
	2013–14	,,	75810	75810– 20.3.13 को नाजिर रसीद द्वारा परन्तु रोकड़ बही में दर्ज नहीं

वर्ष 2010–11 के लिए दिनांक 30.03.10 को डाक द्वारा श्री अजय पासी को बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी। बंदोबस्ती की आम सूचना के अनुसार बदोवस्ती के दिन ही बंदोवस्ती की पूरी राशि ₹48763 बंदोबस्तीधारी से प्राप्त करनी थी परन्तु बंदोबस्ती के दिन मात्र ₹20750 ली गयी और एक साल बाद शेष ₹28013 ली गयी। इसी प्रकार 2011–12 के लिए दिनांक 18.03.11 को श्री मन्दू प्रसाद को बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी। उससे कुल ₹54814 की वसूली की जानी थी परन्तु दिनांक 31.03.11 को ₹32000 एवं शेष राशि ₹22814 एक साल बाद 29.03.12 को वसूल की गयी। इस प्रकार बंदोबस्तीधारी को व्यक्तिगत लाभ पहुँचाया गया और नगर पंचायत को बैंक से प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि की हानि हुई। वर्ष 2013–14 के लिए दिनांक 20.03.13 को ₹70850 में श्री संतोष कर्मकर को बंदोवस्ती की स्वीकृति दी गयी। मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क सहित ₹75810/– नाजिर रसीद सं0 090539 दिनांक 20.03.13 के द्वारा लेखापाल द्वारा प्राप्त किया गया था परन्तु इस राशि को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया।

कार्यपालक अधिकारी द्वारा नाजिर को संबंधित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट कर लेखापरीक्षा में उपलब कराने हेतु कहा गया।

अतः ₹75810 मो0 हसनैन, लेखापाल से वसूल कर नगर पंचायत में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

20. कटैया बाजार की बंदोबस्ती की राशि नाजिर द्वारा नगर पंचायत निधि में जमा नहीं

नगर पंचायत, कटैया बाजार की वर्ष 2013–14 की बंदोवस्ती के लिए दिनांक 20.3.13 को ₹325200/– में श्री संतोष कर्मकर को बंदोवस्ती की स्वीकृति दी गयी। मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क सहित ₹347964/– नाजिर– सह– लेखापाल द्वारा प्राप्त किया गया था परन्तु इस राशि को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया। अतः

182

₹347964/- मो0 हसनैन, लेखापाल से वसूल कर नगर पंचायत में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

21. परिमाण विपत्र से प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्ट को बैंक में नहीं जमा किया जाना

वर्ष 2012-13 में परिमाण विपत्र की बिक्री से प्राप्त ₹19000 का डिमाण्ड ड्राफ्ट बैंक में जमा नहीं किया गया। इसके कारण नगर पंचायत को ₹19000 की राजस्व हानि हुई। इस डिमाण्ड ड्राफ्ट को बैंक में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। लेखापरीक्षा आपत्ति के कोई जबाव नहीं दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नाजिर से इसका कारण पूछा गया जिसमें उन्होने यह स्वीकार की कि परिमाण विपत्र से प्राप्त ₹19000 का डी.डी. 29.12.12 को ही नाजिर को उपलब्ध करा दिया गया था।

डी.डी. नहीं जमा करने की स्थिति में नगर पंचायत को ₹19000 की राजस्व हानि हुई है। इसके लिए संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति पर कार्रवाई अपेक्षित है, अतः नगर पंचायत कोष में ₹19000 जमा की जाए एवं जमा की स्थिति से अधोहस्ताक्षरित को अवगत कराया जाए।

22. होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि ₹446185

होल्डिंग (सम्पति) कर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी नगर निकाय में असंधारित थी जिसके कारण करों की माँग, संग्रहण तथा बकाया की अद्यतन स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी, हालांकि नगर निकाय द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार दिनांक 31.03.13 तक नगर निकाय के क्षेत्रांतर्गत निजी भवनों पर ₹446185 होल्डिंग कर के रूप में बकाया थी। विवरण निम्न प्रकार है -

क.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	माँग				
	बकाया	232093	324930	417767	502579
	चालू	92837	92837	92837	92837
	कुल	324930	417767	510604	595416
2	कुल वसूली	--	--	8025	149231
3	बकाया	324930	417767	502579	446185

अतः मांग एवं वसूली पंजी का समुचित संधारण किया जाए तथा बकाया राशि ₹446185/- की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए।

23. मोबाइल टॉवरों का बकाया शुल्क

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012, दिनांक 08.10.12 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क ₹30000 प्रतिटावर एवं नवीकरण शुल्क ₹8000 प्रतिवर्ष प्रतिटावर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार, उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

नगर पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में अधिष्ठापित मोबाइल टावरों का अद्यतन सर्वेक्षण नहीं करवाया गया था। अतः उपर्युक्त नियमावली के अनुसार कितने टावर नगर पंचायत से अपंजीकृत थे इसका पता अंकेक्षण में नहीं लगाया जा सका। लेखापरीक्षा में नगर पंचायत द्वारा मोबाइल टावरों से संबंधित संचिका, पंजी एवं माँगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अतः पंचायत क्षेत्र में अधिष्ठापित टावरों का अद्यतन सर्वेक्षण कर अपंजीकृत टावरों के पंजीकरण हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए एवं बकाया शुल्क की वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

24. श्रम उपकर की कटौती नहीं : ₹27670/-

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितंबर 1996 के अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996' तथा बिहार सरकार की गजट अधिसूचना सं0 4/एफ 1-302/2006, श्र0 नि0-865, दिनांक 18.08.08 द्वारा निर्माण संबंधी योजनाओं पर कुल लागत की एक प्रतिशत श्रम उपकर कार्य योजना बिलों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों एवं योजना विवरणी के अनुसार वर्ष 09-10 से 12-13 के दौरान चलायी गयी योजनाओं पर नगर पंचायत द्वारा विपत्रों से श्रम उपकर के रूप में कोई कटौती नहीं की गयी।

अतः उक्त प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न संवेदको से निर्माण लागत का 1 प्रतिशत वसूल कर कुल ₹27670/- इसे संयुक्त श्रमायुक्त- सह- सचिव, बिहार एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, को शीघ्र भेजा जाए।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– V में संलग्न)

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि कनीय अभियंता के भूल के कारण श्रम उपकर कीकटौती नहीं की गयी है। 01 प्रतिशत श्रम उपकर की वसूली हेतु संवेदक से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः श्रम उपकर की ₹27670 वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा की जाए।

25. रोकड़पाल की रोकड़बही संधारित नहीं

नगर पंचायत कटैया में रोकड़पाल की रोकड़बही संधारित नहीं की जा रही है।बिहार म्युनिसिपल एकाउंटस रूल्स 1928 के नियम 15 के अुनसार कैशियर को फार्म– III में कैशबुक को संधारण करना है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत, कटैया में रोकड़पाल की रोकड़ बही संधारित पायी गयी। अतः रोकड़पाल की रोकड़बही संधारित करवायी जाए।

अंकेक्षण आपत्ति के उत्तर में कार्यापालक अधिकारी द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया।

26. विलंब दंड की राशि की वसूली नही ₹129233/–

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गए योजना विवरणी की नमूना जाँच में पाया गया कि बी.आर.जी.एफ. अंतर्गत योजना सं 1/9–10 एवं 2/09–10 तथा 12 वीं वित आयोग निधि के अंतर्गत योजना सं 6/09–10 में कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि के बाद पूरा किया गया। विलंब की स्थिति में संवेदक को भुगतान के समय विपत्र की राशि से विलंब दंड 1/2 प्रतिशत प्रतिदिन अथवा 10 प्रतिशत अधिकतम की वसूली का प्रावधान था। लेकिन संवेदक द्वारा कार्यो को पुरा किए जाने में 13 दिन से 1 माह 28 दिन तक का विलंब हुआ लेकिन विपत्रों के भुगतान के समय विलंब दण्ड की राशि की कटौती नहीं की गयी।

(विवरण परिशिष्ट– VI पर)

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि प्रावधानित दर से संवेदक से क्षतिपूर्ति राशि की वसूली की कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

अतः विभिन्न संवेदकों से विलंब शुल्क ₹129233/– की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा की जाय तथा इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

27. आयकर की कटौती नहीं

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी योजना विवरणिका के अनुसार बी.आर.जी. एफ. अंतर्गत योजना सं0 1/09–10 एवं 2/09–10 वर्ष 2009–10 से 12–13 में

कार्यान्वित योजनाओं में संवेदकों से आयकर की कटौती किए बिना ही उसे भुगतान कर दिया गया। इस अवधि में विभिन्न मदों के अंतर्गत पूर्ण ग्यारह योजनाओं में मात्र बी. आर.जी.एफ. के अंतर्गत योजना सं. 2/12-13 में ही ₹14000 की कटौती की गयी। कटौती की गयी राशि आयकर विभाग में जमा भी नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के जबाव में बताया गया कि ₹14000 की आयकर की राशि को शीघ्र ही आयकर विभाग में जमा करा दी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 की योजनाओं के संवेदक से भी आयकर की वसूली हेतु अपेक्षित कारवाई की जाएगी।

अतः वर्ष 2009-10 से 12-13 के दौरान पूर्ण योजनाओं में संवेदकों को की गयी पूर्ण भुगतान के आलोक में आयकर की वसूली कर आयकर विभाग में राशि जमा की जाय। साथ ही बी.आर.जी.एफ. के अंतर्गत योजना सं. 2/12-13 में काटी गयी ₹14000 को अविलम्ब आयकर विभाग में जमा किया जाय।

28. वैट एवं रॉयल्टी की राशि जमा नहीं ₹164128

नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत योजना विवरण के अनुसार वर्ष 2009-10 से 12-13 के दौरान रॉयल्टी एवं वैट के मद में कमशः ₹33178 एवं ₹130950 की कटौती विभिन्न संवेदकों से की गयी परन्तु इस राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया। अतः कुल ₹164128/- सरकार के संबंधित शीर्ष में जमाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

29. नगर पंचायत, कटैया द्वारा वर्ष 2009-10 में कराये गये योजना में अनियमितता

नगर पंचायत, कटैया द्वारा वर्ष 2009-10 में कार्यान्वित एकादश वित की एक, द्वादश वित की 6 एवं बी.आर.जी.एफ. की चार, कुल 11 योजनाओं के अभिलेख में निम्नलिखित जानकारी नहीं पायी गयी :

1. निविदा आमंत्रित करने के संबंध में सूचना जिसमें निविदा खुलने की तिथि हो
2. निविदा से संबंधित तकनीकी एवं वित्तीय बोली के संबंध में दस्तावेज
3. निविदा किसके समक्ष खोली गयी इसकी सूचना

उपरोक्त सभी संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सभी योजना में दो संवेदक श्री कपिल देव प्रसाद तथा राजू प्रसाद बर्नवाल के द्वारा निविदा डाला गया तथा संचिका में पाया गया कि दोनों संवेदक द्वारा आवेदन दर के संबंध में सभी योजना में एक ही था। आवेदन के अनुसार कपिल देव प्रसाद के द्वारा कार्य प्राक्कलित राशि पर तथा राजू प्रसाद बर्नवाल के द्वारा कार्य 5 प्रतिशत अधिक पर करने का आवेदन दियाा । सभी योजना का कार्य कपिल देव प्रसाद को दिया गया तथा कार्यादेश निर्गत किया गया तथा एकरारनामा किया गया। संचिका में संवेदक द्वारा गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा ₹50000 का बैंक गारण्टी प्रदान किया गया जो सभी संचिका में एक ही था।

178

अंकेक्षण टिप्पणी :

सभी संचिका में दो ही संवेदक के द्वारा निविदा डाला गया तथा दोनों के द्वारा एक ही दर सभी योजना पर दिया गया। तथा कपिल देव प्रसाद द्वारा दी गोपालगंज सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक द्वारा ₹50000 का बैंक गारण्टी प्रदान किया गया जो सभी संचिका में एक ही था जबकि अलग- अलग निविदा के लिए अलग- अलग बैंक गारण्टी लिया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि दो ही संवेदक कपिलदेव प्रसाद एवं राजू प्रसाद वर्णवाल द्वारा निविदा डाला गया था जिसमें कपिल देव प्रसाद द्वारा वीओक्यू दर पर तथा राजू प्रसाद वर्णवाल द्वारा बीओक्यू दर से 5 प्रतिशत अधिक दर पर डाला गया है। लिपिकीय भूल के कारण एक ही बैंक गारण्टी प्रदान की गयी है परन्तु योजना पूर्ण करा दी गयी है।

इस प्रकार संवेदक के द्वारा लिए जाने वाले कागजात की अनदेखी करते हुए उसे व्यक्तिगत लाभ पहुँचाया गया और अनियमितता बरती गयी जिसकी उच्च अधिकारी द्वारा जाँच करायी जाय।

30. अभिश्रव अप्रस्तुत ₹2468404/-

सामान्य रोकड़बही की जाँच के कम में लेखा परीक्षा के समक्ष ₹2468404/- का अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण अभिश्रव की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तबतक अप्रस्तुत अभिश्रव की राशि ₹2468404/- को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(विवरण परिशिष्ट- VII पर संदर्भित)

31. कार्यपालक के साथ वार्त्ता

लेखापरीक्षा के दौरान समय- समय पर एवं लेखापरीक्षा के अन्त में उठाए गए बिन्दुओं पर कार्यपालक से दिनांक 24.05.13 को चर्चा की गई।.

32. लेखापरीक्षा का परिणाम

लेखापरीक्षा का परिणाम निम्नलिखित है–

(क)	लेखापरीक्षा के दौरान वसूल की गई राशि	₹1511
(ख)	लेखापरीक्षा द्वारा वसूली हेतु सुझाई गई राशि	₹609065
(ग)	लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी गई राशि	₹2468404
(घ)	अधिभार द्वारा वसूली हेतु सुझाई गई राशि	शून्य

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट – VIII पर)

33. सामान्य अभ्युक्ति

नगर पंचायत में लेखाओं का संधारण संतोषप्रद नहीं था। उसमें बहुत ही सुधार की जरूरत है। बहुत से मुख्य लेखा जैसे– वार्षिक लेखा, अनुदान पंजी, योजना पंजी, बंदोबस्ती पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। प्रतिवेदन में सन्निहित कंडिकाओं से स्पष्ट है कि नियमावली में दिए गए अनुदेशों का पालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की अनियमितताएँ हुई। अतः लेखाओं के संधारण में अधिकारियों का ध्यान देना अपेक्षित है।

–हस्ता0–

रणजीत कुमार कर्ण
स0ले0प0अ0

–अनुमोदित–
उपमहालेखाकार (एस0एस0–1)
–सह–
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

176

सं0–एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ 14445 दिनांक : 27/10/14

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कटैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का अनुपालन अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महीनों के अंदर नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति को समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

''यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।''

-sd-

वरीय लेखापरीक्षा अधि0/
श0स्था0नि0
सोशल सेक्टर–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

सं0–एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ 14445/1942 दिनांक : 27/10/14

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

(i) सचिव, बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना

(ii) जिलाधिकारी, गोपालगंज

27/10/14

वरीय लेखापरीक्षा अधि0/
श0स्था0नि0
सोशल सेक्टर–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

परिशिष्ट – 1

अंकेक्षण में प्रस्तुत की गयी अभिलेखों की सूची

प्रतिवेदन की कंडिका 3 के संदर्भ में

1. बी आरजीएफ, बारहवें एवं 13 वें वित्त आयोग ,कबीर अंत्येष्टि से संबंधित रोकड़बही, सामान्य रोकड़बही

2 उपरोक्त से संबंधित बैंक पास बुक आंशिक

3 अभिश्रव आंशिक

4 रसीद बही

6 योजना अभिलेख आंशिक

नगर पंचायत दीया

74

परिशिष्ट – 2

अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी अभिलेखों की सूची

प्रतिवेदन की कंडिका 3 के संदर्भ में

1. अनुदान पंजी
2. वार्षिक लेखा
3. अनुदान पत्र
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र
5. बजट
6. भविष्य निधि लेखा
7. मांग एवं वसूली पंजी
8. सरकारी भवनों से संबंधित संचिका
9. लॉग बुक
10 कर निर्धारण पंजी
11 रिमिशन पंजी
12 सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका
13 परिसम्पत्ति पंजी
14 बंदोबस्ती पंजी

नि. सं. पि. अ.

Annx- [illegible] A

कंडिका सं. 9 से संबंधित

बैंक पासबुक में अंकित आय एवं व्यय की प्रविष्टि जिसे रोकड़ बही में अंकित नहीं किया गया को दिखलाने वाली विवरणी

क्र०सं०	आय की प्रविष्टि (रु)	दिनांक	व्यय की प्रविष्टि (रु)	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	338483	3.4.10	12300	31.3.10
2.	65400	3.4.10	—	—
3.	—	—	85000	12.7.10
4.	—	—	208748	15.12.10
5.	13000	13.01.11	104516	11.12.11
6.	—	—	93750	1.3.11
7.	—	—	85380	11.03.11
8.	65700	6.4.11	—	—
9.	168545	6.4.11	—	—
10.	—	—	168545	18.01.12
11.	40000	—	13565	9.7.12
12.	8025	16.4.12	—	—
13.	11733	5.5.12	—	—
14.	9006	5.6.12	—	—
15.	10773	9.7.12	—	—
16	990600	10.10.12	—	—
17.	160200	16.10.12	—	—
18.	3005000	5.12.12	115500	5.11.12
19.	747855	23.12.12	250	23.12.12
20.	11429	19.01.13	—	—
21	—	—	83000	17.7.10
22.	—	—	12300	26.7.10
23.	—	—	5000	31.7.10
24.	—	—	18000	31.7.10
25.	—	—	24000	21.9.10
26.	—	—	208748	16.12.10
27	81091	10.01.11	—	—
28	—	—	85380	17.3.11
29	95000	19.4.11	—	—